317hi30

30

संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र अपने समय की अद्वितीय संस्था है। इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है। 1945 में इसके सदस्यों की संख्या 51 थी जो अब बढ़कर 192 हो गई है। विश्व के करीब सभी देश आज संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियां केवल सरकारों की ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के व्यक्तियों की आवश्यकताओं व आशाओं को निरूपित करती हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व संस्था है। इसकी वृहद कार्यप्रणाली में राष्ट्रों के बीच शांति स्थापना, सदस्य देशों के रहन-सहन को ऊंचा उठाना, मानवाधिकारों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का आदर करना सम्मिलित हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे जीवन का कोई भी पक्ष संयुक्त राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों से अछूता नहीं है। फिर भी बहुत-से अवसरों पर प्रभावपूर्ण गतिविधियों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र को ही दोषी ठहराया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र चिह्न

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति का अनुरेखन कर सकेंगे;
- इसके लक्ष्यों व आधारभूत सिद्धांतों को समझ सकेंगे;
- इसके प्रमुख अंगों, उनके संयोजन व कार्य की व्याख्या कर सकेंगे;
- इसके द्वारा किए गए रंग भेद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध और मानवधिकार के प्रोत्साहन के लिए किए गए योगदान की सराहना कर सकेंगे;
- सुरक्षा परिषद को व्यापक प्रतिनिधित्व हेतु पुन: संरचना की आवश्यकता पर जोर दे सकेंगे; तथा
- शांतिपूर्ण एवं बेहतर विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र ही एक उम्मीद है, यह स्पष्ट कर सकेंगे।

30.1 संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति

बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशक दो विश्व युद्धों के साक्षी हैं। प्रथम विश्व युद्ध (1914-19) से विश्वव्यापी जीवन व संपत्ति की हानि से भयभीत राष्ट्रों ने दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की। परंतु, दुर्भाग्यवश राष्ट्रसंघ के सदस्य देश विभक्त हो गए तथा 1939-45 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम से अधिक विनाशकारी था। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस युद्ध में 80 करोड़ लोग मारे गए। शत्रु देशों (जर्मनी, जापान व इटली) की पूर्ण हार के पहले ही, अमेरीका, रूस, ब्रिटेन द्वारा संचालित मित्र देशों ने राष्ट्र संघ के स्थान पर एक नई संस्था की योजना तैयार की। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। युद्ध पश्चात शांति-स्थापना के पक्ष में विभिन्न विचारों व प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मास्को, तेहरान, डंबर्टन ओक्स व याल्टा में बहुत से सभा-सम्मेलन आयोजित किए गए। अंत में 1945 में सेन याल्टा फ्रांसिस्कों में नई संस्था संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सभा हुई। 51 सदस्य राष्ट्रों सहित संयुक्त राष्ट्र 24 अक्तूबर 1945 को अस्तित्व में आया।

घोषणापत्र ही संयुक्त राष्ट्र का संविधान है। इसमें संस्था के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र व इसके सदस्य देशों के संचालन को प्रभावित करते सिद्धान्त, अपने संयोजन व शक्तियों सहित इसके अंगों की सूची है। अतएव घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र का महत्त्वपूर्ण परिचय है।

30.1.1 उद्देश्य एवं सिद्धान्त

घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित चार मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं–

(i) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा प्रतिबंध व अतिक्रमण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना।

(ii) समानता व आत्म-संकल्प के सिद्धांत हेतु विभिन्न राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना।

(iii) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।

(iv) मानवाधिकारों के लिए सम्मान, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना।

उपयुक्त उद्देश्यों का समर्थन करते हुए, संयुक्त राष्ट्र व इसके सदस्य देशों को कुछ महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, छोटे-बड़े देशों की समानता। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को हानि पहुंचाए बिना अपने विवादों को हल करेंगे। साथ ही सदस्य देश अन्य देशों के प्रति किसी धमकी या बल का प्रयोग नहीं करेंगे। सदस्य देश शांति लागू करने में संयुक्त राष्ट्र की सहायता करेंगे।

जैसा कि हमें पहले ही ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बहाल करना संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अन्य उद्देश्य शांति के पूरक हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की चर्चा करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि यह एक राजनीतिक संगठन है जो सदस्य दशों की अर्न्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मामलों में उनकी सहायता करता है। न तो देशों की अभिरुचि और न ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रवृत्तियां एक समान रहती हैं; वे समय-समय पर बदलती रहती हैं। इसलिए, अपनी शक्तियों के प्रयोग में संयुक्त राष्ट्र सख्त, यांत्रिक एवं एक समान नहीं रह सकता। अतएव इसकी भूमिका में लचीलापन एवं व्यावहारिकता है। आमतौर पर

शांति भंग होने की सूचना मिलने पर संयुक्त राष्ट्र उस देश की निंदा नहीं करता या कड़ा रुख नहीं अपनाता। इसके विपरीत प्रयास यह किया जाता है कि युद्ध रोक कर सेनाएं युद्धपूर्व की स्थिति में चली जाएं।

पाठगत प्रश्न 30.1

रिक्त स्थान भरीए :

(क) सन 1945 में ________ शहर में संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए। (जिनेवा, न्यूयार्क, सैन-फ्रांसिस्को)

(ख) ________________ देश, संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सदस्य थे। (45, 51, 191)

(ग) संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य ____________________ है। (शांति, सुरक्षा स्थापित करना, युद्ध करवाना, उपनिवेशीकरण)

सत्य या असत्य लिखिए :

(घ) सदस्य देशों के बीच प्रभुसत्ता संपन्न समानता संयुक्त राष्ट्र का एक आधारभूत सिद्धांत है। (सत्य/असत्य)

(ड.) संयुक्त राष्ट्र सामान्यतः सदस्य देशों के घरेलू समस्याओं पर विचार नहीं करेगा।(सत्य/असत्य)

(च) संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या इसके प्रारंभिक अस्तित्व से नहीं बढ़ी है। (सत्य/असत्य)

30.2 प्रमुख अंग-संरचना और कार्य

शांति तथा सहयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित छः अंग हैं–

1 महासभा

2 सुरक्षा परिषद

3 आर्थिक व सामाजिक परिषद

4 न्यास परिषद

5 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

6 सचिवालय

यद्यपि इन सभी अंगों में अन्तः संबंध हैं फिर भी इनमें से प्रत्येक अपनी संरचना व कार्यों के आधार पर विशिष्ट है। आइए, एक-एक करके इन्हें जानें:

30.2.1 महासभा

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में महासभा केन्द्रीय संस्था है। समानता व सार्वभौमिकता के सिद्धान्त इसी

सभा में अंत:निहित है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य इस महासभा के ही सदस्य हैं। आकार और शक्ति के भेदभाव के बगैर प्रत्येक सदस्य का एक वोट है, उदाहरणार्थ भूटान व क्यूबा का वोट भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। महासभा दो-तिहाई बहुमत से महत्त्वपूर्ण मसलों पर निर्णय लेती है, जैसे- शांति व सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश तथा बजट-निर्धारण आदि। तौर-तरीके सम्बंधी साधारण मसलों पर साधारण बहुमत की जरूरत होती है। सभा की प्रत्येक वर्ष नियमित सत्र में बैठक होती है। अब तक इसके 59 सत्र हो चुके हैं। आवश्यकता पड़ने पर यदि सभा चाहे तो विशेष सत्र या आपातकालीन विशेष सत्र आयोजित कर सकती है।

महासभा को विश्व संसद की संज्ञा दी गई है। इसके पास बहुत-सी शक्तियां व कार्य हैं। प्रथम, यह घोषणापत्र के अन्तर्गत किसी भी मामलों पर बहस कर सकती है। चूंकि घोषणापत्र का क्षेत्र काफी विस्तृत है, अतएव सभा की शक्तियाँ भी इस प्रकार हैं- शांति व सुरक्षा संबंधी, पर्यावरणीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, औपनिवेशिक प्रशासन की समस्याएं, निरस्त्रीकरण, जनसंख्या विस्फोट, अंतरिक्ष एवं समुद्र का प्रयोग आदि इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। यह केवल मामलों पर सुझाव व सिफारिशें प्रस्तुत करती है। अपने कार्यों के भाग के रूप में सभा ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा (1948), उपनिवेशवाद विरोध पर घोषणा (1960) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (1974), बच्चों के अधिकारों पर घोषणा (1989), आतंकवाद विरोधी घोषणा (1994) आदि कुछ उदाहरण हैं। ये घोषणाएं देशों पर बाध्यकारी नहीं हैं। फिर भी इनके नैतिक व राजनैतिक महत्त्व हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता।

महासभा ने मानवाधिकार, समुद्र संबंधी कानून, रासायनिक हथियार, शस्त्र नियंत्रण, राजनयिक संबंधों से जुड़े हुए कई कानूनों को अपनाया है। महासभा की घोषणाएं किसी देश की संसद द्वारा पारित कानून की तरह स्वयं लागू नहीं होते। ये उन्हीं देशों के लिए लागू होते, जो इन पर संधिपत्र पर हस्ताक्षर करते। महासभा विभिन्न अंगों के लिए सदस्यों का चयन करती है और महासचिव को नियुक्त करती है। यह न्याय परिषद्, आर्थिक व सामाजिक परिषद व अन्य संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करती है। महासभा को संयुक्त राष्ट्र के बजट को अनुमोदित करने व राशि निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है।

30.2.2 सुरक्षा परिषद

अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का शक्तिशाली अंग है। अपने संरचना व निर्णय निर्धारण के आधार पर यह महासभा से एकदम भिन्न है। परिषद की सदस्यता 15 है, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। ये पांच राष्ट्र चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन व अमेरिका हैं जिन्हें कुछ ऐतिहासिक व राजनैतिक आधारों पर 1945 में चुना गया था। दस अस्थाई सदस्य महासभा द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ये दस सदस्य विश्व के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों; जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिम व पूर्वी यूरोप से आते हैं। प्रारंभ में माना गया कि परिषद का छोटा आकार निर्णय-निर्धारण क्षमता को आसान बनाएगा। सुरक्षा परिषद महत्त्वपूर्ण मसलों पर निर्णय निर्धारण नहीं कर सकती जब तक कि पांच स्थाई सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का वोट नकारात्मक है। स्थायी सदस्यों के इस विशेषाधिकार को 'वीटो पावर' के नाम से जाना जाता है। वीटो पावर के द्वारा मताधिकार

का प्रयोग न करना वीटो लगाना या नकारात्मक मत नहीं माना जाता है। वीटो प्रावधान को आरंभ से ही आलोचना का सामना करना पड़ा है। वीटो समानता के सिद्धांत की अवहेलना है।

> **वीटो:** महत्वपूर्ण मामलों में सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को नकारात्मक मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसे वीटो शक्ति के नाम से जाना जाता है।

परिषद के कार्य व शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव तक सीमित हैं। यदि दो या अधिक देशों में विवाद उत्पन्न होता है तो परिषद इसका शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकती है, परंतु यह सुझाव राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी नहीं होता। उदाहरणार्थ, जम्मू-कश्मीर विवाद में सुरक्षा परिषद के समाधानों को मानने के लिए न तो भारत और न ही पाकिस्तान बाध्य है। वे स्वेच्छा से इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। देशों के बीच उत्पन्न युद्धों से निपटने के लिए भी परिषद को अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में परिषद निश्चित कर सकती है कि आक्रामक कौन है तथा पुन: शांति स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। इन उपायों में परिषद के स्वविवेक से सहमत आर्थिक प्रतिबंध जैसे- विदेश स्थित संपत्ति पर रोक, आयात व निर्यात पर प्रतिबंध, जल, थल, वायु द्वारा सैन्य कार्रवाई आदि शामिल हैं। ऐसे फैसले सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। इनको लागू करना सबों की जिम्मेदारी होती है। परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद निर्णयों का पालन करना सदस्य देशों का कर्त्तव्य है। परिषद, स्थायी सदस्यों के समझौते से ही ऐसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लेती है। हाल ही के वर्षों में शीत युद्ध के बाद परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए अपने अधिकारों का सशक्त प्रयोग करने लगी है। सुरक्षा परिषद ने अभी तक 25 देशों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर आर्थिक एवं राजनयिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में विदेश स्थित संपत्ति पर रोक, आयात-निर्यात पर रोक, अस्त्र-शस्त्र के व्यापार पर प्रतिबंध तथा राजनयिक संबंधों के विच्छेद शामिल हैं। हैती, ईराक, लिबिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका आदि के विरुद्ध ऐसे प्रतिबंध लगे हैं। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के पास पांच दशकों के बाद भी अपनी सेना नहीं है इसलिए शांति बहाल करने हेतु इसे सदस्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया के आक्रमण को समाप्त करने तथा 1990 में ईराक द्वारा कुवैत पर कब्जा हटाने के लिए सैनिक कारवाई किया। यह गौर तलब है कि हाल ही में सुरक्षा परिषद ने अमेरिका को ईराक पर आक्रमण करने की इजाजत नहीं दी। अतएव 2003 में ईराक पर अमेरिका का आक्रमण गलत था। सदस्य देशों के साथ समझौता कर परिषद विवादग्रस्त क्षेत्रों में पुन: शांति स्थापित करने हेतु सेना भेजती है। यह प्रयास बहुत हद तक सफल रहा है। इसे पीस कीपिंग (शांति रक्षक सेना) के नाम से जाना जाता है।

30.2.3 आर्थिक और सामाजिक परिषद

आर्थिक व सामाजिक परिषद की कार्यप्रणाली उसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय समस्याओं पर विचार करती है। परिषद के पास विभिन्न आयोगों

को गठित करने का अधिकार है। ये आयोग महिला, जनसंख्या, मानवाधिकार आदि समस्याओं पर सुझाव देते हैं। परिषद विभिन्न विशिष्ट एजेन्सियों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य व कृषि संगठन की गतिविधियों के साथ समन्वय करती है। परिषद का अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य गैर-सरकारी संस्थाओं को अपने क्रिया-कलापों में शामिल करना है। अध्ययन, विचार-विमर्श व समन्वयन के द्वारा यह परिषद पूर्ण रोजगार, रहन-सहन के उच्च स्तर व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रचार-प्रसार करती है। वर्ष में एक बार परिषद की बैठक होती है। परिषद में 54 सदस्य होते हैं। सभी को महासभा 3 वर्ष की अवधि के लिए चुनती है। परिषद में सामान्य बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

30.2.4 न्यास परिषद

न्यास परिषद की स्थापना न्यास क्षेत्रों के प्रशासनिक देख-रेख के लिए की गई थी। जिन ग्यारह (11) क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत रखा गया था वे अब स्वतंत्र हो चुके हैं। न्यास परिषद के पास आज कोई कार्य नहीं है। इसलिए इसकी बैठक नहीं होती। इसे समाप्त करने के लिए चार्टर का संशोधन करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय न्यास प्रणाली उन क्षेत्रों के प्रशासनिक देख-रेख के लिए बनाई गई जो स्वशासन की स्थिति में नहीं थे। यह व्यवस्था राष्ट्र संघ के मैंडेट के स्थान पर लाया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय न्यास प्रणाली को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाया गया था जिन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। इसने राष्ट्र संघ के मेंडेट का स्थान लिया।

30.2.5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। विश्व न्यायालय के रूप में प्रसिद्ध इस न्यायालय में सुरक्षा परिषद व महासभा द्वारा नौ वर्ष की अवधि के लिए चुने गए 15 जज हैं। व्यक्ति नहीं केवल देश ही इस न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं। यह न्यायालय सुरक्षा परिषद व महासभा के आवेदन पर अपनी सलाह प्रदान करता है। अब तक न्यायालय ने 72 मुकदमे तथा 23 सलाह मत प्रदान किए हैं।

30.2.6 सचिवालय

संयुक्त राष्ट्र के न्यूयार्क अवस्थित मुख्यालय तथा विश्व में अन्यत्र कार्यालयों में कार्यरत सभी व्यक्ति सचिवालय के सदस्य होते हैं। ये सदस्य निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। विभाग किसी देश विशेष को नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र को ही सेवाएं प्रदान करता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। इसे सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संस्था के प्रारंभ होने के बाद से छः व्यक्ति महासचिव के रूप में रहे हैं– नार्वे के त्रिग्वेली (1966-52); स्वीडन के डाग हैमर-शोल्ड (1953-61), म्यांमार के यूथांट (1961-71), आस्ट्रेलिया के कुर्त वाल्ड्राइम (1972-81), पेरू के जेवियर पेरेज डी कूइयार (1982-91) तथा मिस्र के बुतरस घाली। काफी अन्नान भी काफी समय तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं। वर्तमान में दक्षिण कोरिया के बान कि मून इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हैं।

पाठगत प्रश्न 30.2

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(क) स्थायी सदस्यों को ___________ में वीटो प्राप्त है (संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों / सुरक्षा परिषद)

(ख) न्यास परिषद की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? (5/11/15)

(ग) विशिष्ट एजेंसियों की गतिविधियों के साथ समन्वयन में संयुक्त राष्ट्र का कौन सा-अंग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है? (सामान्य सभा / सुरक्षा परिषद / आर्थिक व सामाजिक परिषद)

(घ) निजी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे कर सकते हैं (सही / गलत)

(ड.) _______________ संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं (कोफी अन्नान / बान कि मून)

(च) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चयन_________________ द्वारा किया जाता है (महासभा/सुरक्षा परिषद् / महासभा व सुरक्षा परिषद दोनों)

30.3 उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष

जैसा कि हम जानते हैं 1947 में स्वतंत्र होने से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। केवल भारत अकेला उपनिवेश नहीं बना था। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तो, उस समय एशिया एवं अफ्रीका के अनेक देश स्वतंत्र नहीं थे। उपनिवेशवाद की समाप्ति संयुक्त राष्ट्र के लिए शांति एवं प्रगति लाने हेतु एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया।

लाखों लोगों को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करवाना संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र के लिए उपनिवेशवाद की समाप्ति के दो पहलू थे। एक तो ऐसे देश जो प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी देशों द्वारा शासित थे - जैसे- भारत। दूसरे न्यास क्षेत्र जिनकी जिम्मेदारी स्वयं संयुक्त राष्ट्र की थी। 11 देश/क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद के तहत आ गए। कैमरून, नौरू, न्यू गुइनिया, प्रशांत महाद्वीप, रुआंडा, बुरूंडी, सोमालिया, तन्जानिया, टोगोलैंड आदि उनमें से कुछ हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि अब कोई भी न्यास क्षेत्र नहीं है। 11 में से सात देश स्वतंत्र हो गए व चार का स्वेच्छा से पड़ोसी देशों में विलय हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने औपनिवेशिक क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने पर विशेष बल दिया। उपनिवेशवाद के विरुद्ध इस प्रचार में 1960 में महासभा द्वारा की गई घोषणा महत्त्वपूर्ण है। इस घोषणा में सभी औपनिवेशिक क्षेत्रों व जनसंख्याओं को तत्काल स्वतंत्र करने की मांग की गई। तभी से संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद विरोधी समूह के प्रयुक्त दबाव से 60 प्रदेश स्वतंत्र किए जा चुके हैं। इरिट्रिया, पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक सफल उदाहरण है।

दक्षिण अफ्रिका के रंगभेद की नीति का विरोध संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी शुरुआत 1946 से हुई। दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सुझावों को नकार दिया। बाद में अखेतों (काले लोगों) से भेदभाव के विरुद्ध दबाव बढ़ने लगा। खेलों में दक्षिण अफ्रीकी टीम पर प्रतिबंध लगे। सुरक्षा परिषद ने शस्त्रों की बिक्री पर रोक लगाया। इसके परिणाम 1993 तक दिखने लगे। सम्मानित अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों के बाद जेल से मुक्त किया गया। रंगभेद कानूनों को समाप्त किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराए गए और 1994 में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। इसके तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र ने सभी पूर्व प्रतिबंधों को हटाकर विश्व में दक्षिण अफ्रीका को सही स्थान दिलाया।

30.4 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में विश्वव्यापी मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए प्रावधान है। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासभा ने रुचि ली है। मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने वाली लगभग 80 घोषणाएं व समझौते (conventions) पिछले छः दशकों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई हैं।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र की पहली उद्घोषणा है। 10 दिसम्बर 1948 को इसे अपनाया गया। यह दिन प्रति वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्घोषणा में नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की व्यापक श्रृंखला है, जो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाने चाहिए। यह सार्वभौमिक उद्घोषणा, अन्य घोषणाओं की ही भांति सरकारों के लिए बाध्य नहीं है। परंतु इसने कानूनी रूप से आवश्यक संविदाओं के मसौदे को प्रेरित किया। प्रथम, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों और दूसरा, नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के बारे में है। ये दोनों संविदाएं 1976 के बाद से इसे मानने वाले देशों पर लागू हो गईं। सार्वभौमिक उद्घोषणा सहित ये दोनों संविदाएं **'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक'** के नाम से जानी जाती हैं।

आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संविदा न्यायोचित परिस्थिति में कार्य करने के अधिकार, रहन-सहन के पर्याप्त स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर प्रकाश डालती है। नागरिक व राजनैतिक अधिकार संविदा स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, चुनावों में भागीदारी की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा पर बल देती है। हस्ताक्षरकर्ता देशों की इन संविदाओं के प्रति अनुपालन को मानवाधिकार पर गठित समिति की रिपोर्ट से जाना जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नागरिक व राजनैतिक संविदा के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विभिन्न व्यक्तियों से उनकी सरकारों के उपेक्षापूर्ण व गलत व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें सुनता है; बशर्ते वह देश इस पर एक अलग ऐच्छिक संधि (प्रोटोकॉल) को मानता हो।

प्रताड़ना, जातीय भेदभाव को रोकने तथा बालकों, महिलाओं व अप्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कई घोषणाएं व संविदाएं अपनाई हैं।

संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में मानवाधिकार पर समय-समय पर सम्मेलनों का आयोजन भी शामिल है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने वियना में मानवाधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की सिफारिशों पर कार्य करने के लिए महासभा ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग को नियुक्त किया, जिसका काम पूरे विश्व में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है।

30.5 संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की आवश्यकता

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र ने एक उत्तरदायी भूमिका का निर्वाहन किया है परंतु कुछ अवरोधों के कारण यह प्रभावित भी हुआ है। उदाहराणार्थ, संयुक्त राष्ट्र के कुछ अंग नहीं बदले हैं जो कि वांछनीय हैं। आइए, हम सुरक्षा परिषद पर विचार करें। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 तक सीमित है। इनमें से 5 (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका) स्थायी सदस्य हैं। किन्हीं ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों से 1945 में इन्हें स्थायी बनाया गया। शेष 10 सदस्यों को 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। यह पिछले साठ वर्षों से चलता आ रहा है जब अधिकांश अफ्रीकी और एशियाई देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य

नहीं थे। अब जबकि सदस्यों की संख्या करीब चार गुना हो गई है, तो इसके स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता है। कुछ देश जैसे भारत आदि को स्थायी सदस्य बनाने का मजबूत कारण है। अस्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि उन्हें भी लगे कि उनके भविष्य के संबंध में भी सुरक्षा परिषद काम कर रही है। तृतीय विश्व के देश संयुक्त राष्ट्र को पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका का एजेन्ट मानते हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी। जापान, भारत, जर्मनी, ब्राजील और नाइजीरिया इसके दावेदार हैं। जापान और जर्मनी अब शत्रु नहीं हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति और संयुक्त राष्ट्र को उनके सहयोग के कारण वे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के सबसे प्रबल दावेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति कार्यों में भारत के सहयोग और प्रतिक्रिया के कारण भारत की दावेदारी भी प्रबल है। भारत संयुक्त राष्ट्र का मौलिक सदस्य रहा है। इसके अतिरिक्त भारत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तथा संसार में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है।

पाठगत प्रश्न 30.3

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :

(क) उपनिवेशवाद विरोधी उद्घोषणा को ________ में अपनाया गया। (1945,1960,1995)

(ख) अधिन्यासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्तरदायी था। (सही / गलत)

(ग) दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन के नेता__________________ थे। (महात्मा गांधी / नेल्सन मंडेला)

(घ) मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। (सही/गलत)

(ड.) मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? (26 जनवरी/10 दिसम्बर/15 अगस्त)

(च) मानवाधिकारों पर दो संविदाएं___________ से अस्तित्व में लाई गई (1948/1976/1997)

(छ) 1993 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन की सिफारिशों पर किस कार्यालय की स्थापना की गई। (आमबडसमैन/मानवाधिकार उच्च आयोग/आयुक्त)

आपने क्या सीखा

संयुक्त राष्ट की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने की उद्देश्य से की गई। इसमें छः अंग– महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुछ सीमाएं भी हैं। फिर भी यह विश्व का एक अनोखा संगठन है जिससे पूरी मानवता की शांति, सुरक्षा, समानता एवं न्याय के लिए प्रयास कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में शांति स्थापना के लिए मध्यस्थता व अन्य सेवाएं प्रदान कीं। विभिन्न अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र ने सैन्य बलों के प्रयोग को सुनिश्चित किया। संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयास विश्व में शांति स्थापना के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने विकसित देशों द्वारा अल्पविकसित

देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाने के लिए भी प्रयत्न किया। उपनिवेशवाद व जातिवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का विरोध तथा विश्व में अन्य संस्थाओं द्वारा मानवाधिकारों के प्रचार से भी उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न पक्षों पर उत्साहवर्धक प्रतिज्ञाएं सिखाई हैं, फिर भी जन समुदाय के लिए इसके द्वारा शांत, समृद्ध, समान व न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण मुश्किल है। पांच दशक इन आदर्शों के लिए कम है, परन्तु जनसमुदाय एवं सरकारों की सहायता के बल पर अगले छः दशकों में ये आदर्श वास्तव में प्राप्त किए जा सकते हैं।

पाठांत प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के उद्देश्यों व सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।
2. महासभा व सुरक्षापरिषद के संगठन व कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करें।
3. उपनिवेशवाद की समाप्ति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की विवेचना करें।
4. सुरक्षा परिषद के पुनः गठन की आवश्यकता बताए।
5. **निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए-**

   (अ) संयुक्त राष्ट्र महासचिव

   (ब) मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा

   (स) न्यास परिषद

   (द) आर्थिक व सामाजिक परिषद

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

30.1

(क) सैन फ्रांसिस्को

(ख) 51

(ग) अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का रखरखाव

(घ) सही

(ङ.) सही

(च) गलत

30.2

(क) सुरक्षा परिषद

(ख) 11

(ग) आर्थिक व सामाजिक परिषद

(घ) बान-कि-मून

(ड.) सुरक्षा परिषद व महासभा दोनों

30.3

(क) 1960

(ख) सत्य

(ग) नैल्सन मंडेला

(घ) गलत

(ड.) 10 दिसंबर

(च) 1976

(छ) मानवधिकार उच्चायुक्त

पाठांत प्रश्नों के संकेत

1. खण्ड 30.3 देखें।
2. खण्ड 30.4 देखें।
3. खण्ड 30.5 देखें।
4. खण्ड 30.8 देखें।
5. (अ) 30.4 (ब) 30.8 (स) 30.4 और 30.7 (द) 30.4

विस्तृत ज्ञान

संयुक्त राष्ट्र के बारे में मौलिक तत्व (न्यूयार्क, 1995)

पहचान व सत्यताः संयुक्त राष्ट्र संबंधी प्रश्न व उत्तर (न्ययार्क, 1996)

शब्दावली

1. मित्र राष्ट्र
2. राष्ट्र संघ
3. चार्टर